



प्रेषक,

कमल मोहन,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत अनुभाग (अधि०)

लखनऊ : दिनांक 07 जुलाई, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में यूपीनेडा के 06-नान कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) हेतु वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1129/यूपीनेडा-ए-लेखा-बजट अनुमान/25-26 (2026-27), दिनांक 29 जून, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासनादेश दिनांक 21-04-2026 द्वारा प्रथम किशत की निर्गत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र को प्रेषित करते हुए द्वितीय किशत की धनराशि की मांग की गयी है।

2- वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत 06-नान कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अब तक अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र.स.	प्राविधानित धनराशि	शासनादेश संख्या व दिनांक	अवमुक्त धनराशि
1	750.00	शासनादेश सं०-20/2026/आई/1303787/001-87-01002-099-3-2022, दिनांक 21-04-2026	187.50
योग			187.50
अवशेष धनराशि			562.50

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत 06-नान कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि ₹0 750.00 लाख (रूपये सात करोड़ पचास लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹0 562.50 लाख में से **द्वितीय किशत के रूप में धनराशि ₹0 187.50 लाख (रूपये एक करोड़ सतासी लाख पचास हजार मात्र)** को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों में निहित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (3) अनुदान का बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
- (4) उक्त धनराशि से संबंधित व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैरा-369एच के अनुसार यथासमय शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इस अनुदान का लेखा सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा से कराकर आडिट रिपोर्ट भी शासन को उपलब्ध करा दी जाय।
- (5) उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत वाहन/पीओएलओ आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-315/दस-सं0-वि0वि0-2/97, दिनांक 19-03-1997 के निर्देशानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) यूपीनेडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
- (7) अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।
- (8) उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 द्वारा तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर ही अगली किश्त अवमुक्त किए जाने पर विचार किया जाएगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,87,50,000.00 (रुपये एक करोड़ सत्तासी लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 070 लेखा शीर्षक 2810008000600 नान कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-31-X-2026-27, दिनांक 06-07-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कमल मोहन

अनु सचिव

संख्या-27/2026/1/1387159/002-87-01002-099-3-2022, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
- (3) कोषाधिकारी, लखनऊ।
- (4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
- (5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- (6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, प्रयागराज।
- (7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कमल मोहन

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।